

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को प्रधान सहायक (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन-4200/ लेवल-6) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है :-

क्रम सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/ पति का नाम श्री/श्रीमती/कु०:-	जन्मतिथि	वर्तमान तैनाती/ जोन का नाम
1	2	3	4	4
01	2775	राजेश कुमार पाण्डेय/ परशुराम पाण्डेय	15-11-1979	देवरिया
02	2776	रचना/ संजीव कुमार	15-07-1989	अंलीगढ
03	2777	फरहाना अंजुम/ अब्दुल खालिक	07-05-1967	सहारनपुर
04	2778	सिद्धार्थ रोहिला/ ओम कुमार वर्मा	19-10-1990	सहारनपुर
05	2779	अर्चना मिश्रा/ नरेन्द्र कुमार मिश्रा	15-06-1970	लखनऊ
06	2780	सुदामा पासवान/ शिवआधार	30-03-1992	सोनभद्र
07	2782	सास्वत बाजपेयी/ अजय कुमार बाजपेयी	02-03-1992	कानपुर
08	2783	अखिलेश कुमार वर्मा/ विनोद कुमार वर्मा	26-08-1988	कानपुर

- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रधान सहायक के पद पर दिनांक 12-01-2024 तक कार्यभार ग्रहण करायें तथा यदि कोई कर्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके दिनांक तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
- संबन्धित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कर्मिकों में से किसी कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस आदि निर्गत हो, सतर्कता जाँच / ई0ओ0डब्ल्यू0 जाँच चल रही हो, तो ऐसे कर्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराएं और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।
- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों में से यदि किसी कर्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

६०

(रिया केजरीवाल)

अपर आयुक्त, राज्य कर,

प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

क्रमशः पृष्ठ-2 पर

श्री अजय

22/01/24

01-01-024

9942

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- , जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, गोरखपुर, अलीगढ, सहारनपुर, लखनऊ जोन प्रथम/ द्वितीय, वाराणसी जोन प्रथम/ द्वितीय एवं कानपुर जोन प्रथम/ द्वितीय ।
- 3- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, देवरिया, अलीगढ, सहारनपुर, लखनऊ, सोनभद्र एवं कानपुर ।
- 7- पटल प्रभारी स्था-5(क), 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय ।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से) ।

(हरिनाम सिंह सचान)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।